यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.)- V राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.)- V राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.11.2018 से 05.12.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी वरिष्ठ लेखापरीक्षाक, श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम.त्रीपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 30.01.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	319.81
2016-17	677.37
2017-18	848.79

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-			-	-	-	
2016-17	-	-			-	-	-	
2017-18	-	-			-	-	-	

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.)- V राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर01- कर का न्यूनारोपण ₹0.25 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल के भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2) से सम्बन्धित अनुसूची 3 की बिन्दु संख्या-08 के अनुसार सभी प्रकार के स्नेहक पर आयातकर्ता अथवा विनिर्माता के बिन्दु पर उक्त माल के विक्रय पर 20 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) -05, राज्य कर हरिद्वार के वर्ष 2017-18 की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जनता ऑटोमोबाईल हरिद्वार, कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में फार्म-16 के माध्यम से ₹211251.00 का स्पेयर पार्ट्स तथा ₹47978.00 के ऑयल का आयात किया गया था। पत्रावली की जॉच में पाया गया कि उक्त वस्तु को 05 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया था। इस प्रकार स्पेयर पार्ट्स एवं ऑयल की बिक्री पर अन्तरीय दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत से कुल ₹25153 (17956.33+7196.70) का अतिरिक्त कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-135/2017-18	01	01	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.)- V राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अवनीश कुमार पाण्डेय	सहायक आयुक्त
2	श्री हरिकृष्ण खुगशाल	राज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.)- V राज्य कर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र